'255/2023
'255/2023

सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0(शिक्षा)/A15-09/2019

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होप टॉउन (शीशमबाडा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : मई, 2023

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2612, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या	
		2020–21	2021–22
1	2	3	4
उत्तरांचल (पी0जी0) कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साईसेज एण्ड हॉस्पिटल, सेवला खुर्द, सहारनपुर रोड़, देहरादून।	बी0एससी0–नर्सिंग	45	60 (15 सीट वृद्धि की नवीन अ0सम्बद्धता सहित)

(1) प्राभूति राशि मानक अपूर्ण है। यद्यपि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक शासनादेश निर्गत किया जाता है, तब तक संस्थानों से पूर्व से नियत प्राभूति धनराशि जमा कराई जाय और साथ में प्राभूति हेतु लिया जा रहा शपथ–पत्र भी प्राप्त किया जाय।

(2) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 17/05/2023 10:59 am

255/2023

255/2023

राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) प्रस्ताव में परिलक्षित कमियों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय सहित राज्य सरकार का होगा। अतः आगामी सत्र से पूर्व उक्त मानक पूर्ण कर लिए जायं तथा जब तक उपरोक्त मानक पूर्ण नहीं कर लिये जाते, तब तक आगामी सत्र के नवीन प्रवेश पर रोक लगाते हुए प्रश्नगत पाठ्यक्रम में पूर्व से प्रवेशित छात्रों का कोर्स पूर्ण होने तक की सम्बद्धता प्रदान करने की कार्रवाई सम्पादित की जाय।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 14-05-2023 14:13:16

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या-255 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A15-09 /2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

ह0

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 17/05/2023 10:59 am